12.02.2020	पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 उप.। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 1 सम्पतराज के हक में ग्राम लक्की तालाब पटवार मण्डल रायपुर I तहसील रायपुर जिला पाली के खसरा नम्बर 913/3 रकबा 15.00 बीघा किस्म बारानी अव्वल का किस्म परिवर्तन कर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किए गए आवंटन एवं उसकी पालना में दर्ज नामान्तरकरण को निरस्त करवाने हेतु निवेदन किया है, लेकिन प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के कॉलम संख्या 5 में आवंटन/नियमन आदेश संख्या का अंकन नहीं किया है, मात्र एक प्रार्थना पत्र पेश किया है कि आवंटन आदेश के अभाव में प्रार्थना पत्र दर्ज करावें। जबकि आवंटन आदेश संख्या, दिनांक एवं किसके द्वारा उक्त आवंटन आदेश पारित किया गया तथा उक्त आवंटन के पश्चात किस नामान्तरकरण के द्वारा अप्रार्थी को गैर खातेदार दर्ज किया गया तथा जिस नामान्तरकरण के द्वारा अप्रार्थी को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया। उक्त दोनों नामान्तरकरणों का अंकन प्रार्थना पत्र नहीं है व न ही उक्त नामान्तरकरणों की प्रति प्रार्थना पत्र संलग्न है। प्रार्थी द्वारा मात्र अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जैर प्रार्थना पत्र आराजी के विक्रय के पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 के नाम अमल दरामद नामान्तरकरण का ही अंकन अपने प्रार्थना पत्र में किया तथा उसकी प्रति प्रार्थना पत्र संलग्न की है। प्रार्थी को अपने प्रार्थना पत्र में आवंटन/नियमन आदेश संख्या तथा इससे संदर्भित समस्त नामान्तरकरणों की सिलसिलेवार उल्लेख करना चाहिए था एवं उक्त समस्त आदेशों की प्रमाणित प्रतियां को प्रार्थना पत्र के संलग्न पेश करने चाहिए थे, जिनका विधि में आज्ञापक प्रावधान है, जिसकी पालना प्रार्थी द्वारा नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 खण्ड I के अध्याय 4 के नियम 17 (क से घ) की पालना की जानी आज्ञापक है। यह स्थिति रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 खण्ड II के अध्याय 2 के नियम 30 का उल्लंघन है। अतः रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 के अध्याय 2 के नियम 21 के तहत तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है, तथा तहसीलदार रायपुर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति एवं अन्य संबंधित दस्तावेजो के साथ पन्द्रह दिवस के भीतर पुनः नए सिरे से प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायपुर को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें। बाद पालना पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर,पाली अति. जिला कलेक्टर, पाली